न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 86/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/119

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. रघुवीरसिंह पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 2. ब्रजराजसिंह पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली 3. गिरजा कवंर पत्नी उंकार सिंह जाति चारण निवासी रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली		1. लक्ष्मण सिंह पुत्र हेमदान जाति चारण निवासी रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली 2. ग्राम पंचायत रेन्दडी जरिये सरपंच/प्रशासक पंचायत समिति सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान 3. ग्राम विकास अधिकारी/प्रशासक ग्राम पंचायत रेन्दडी पंचायत समिति तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण मेघवाल।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 16/09/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रेन्दडी द्वारा मिसल संख्या 32/2010–11 दायर दिनांक 23.01.2011, संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.01.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.01.2013 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण की कब्जासुदा, स्वामित्वसुदा, मालिकाना हक की पुश्तैनी आवासीय सामलाती पोल चारणों के बास रेन्दडी में आई हुई है, जिसके पडौस उत्तर दिशा में रास्ता व निकाल, दक्षिण दिशा में लक्ष्मणसिंह का मकान व चावण्डदान का मकान, पूर्व दिशा में उम्मेदसिंह पुत्र शम्भुकरण वगैरा की सामलाती पोली एवं पश्चिम दिशा में रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण अपने समस्त सामाजिक कार्यक्रम इसी सामलाती पोल में करते आ रहे है। उक्त सामलाती पोल में पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण का 1/4 हक हिस्सा चला आ रहा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई का भी उक्त सामलाती पोल में 1/4 हक हिस्सा ही आता है। उक्त पोल पर अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का कभी भी कब्जा नहीं रहा। ग्राम पंचायत ने बिना कोई आवेदन लिये, बिना मौके की जांच

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

किये, बिना आपत्ति इश्तिहार जारी किये विधिविरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण की हक हिस्से की सामलाती पोल का गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत में केवल पट्टे की प्रति है अन्य रिकॉर्ड नहीं है। जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल 3406.42 वर्गफीट का हैं। उक्त सामलाती में पोल में लगभग 15–16 मकान बने हुये है। अप्रार्थी ने अपनी मकान सुदा आवासीय भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया इस सम्बन्ध में बयानकर्त्ता जगदीश सिंह ने शपथ–पत्र भी पेश किया। प्रकरण में जो वार्ड पंच नियुक्त किये गये है वह ग्राम रेन्दडी के नही होकर किसी अन्य गांव के है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रक्रिया अपनाये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने जो वंशावली पेश की है, उसके अनुसार हेमदान का पुत्र लक्ष्मणसिंह पक्षकार हैं, यह शंकरदान की चौथी पीढी है जो पूर्व में ही अपनी अपनी भूमि अनुसार अलग अलग हो चुका है। जैर आराजी की पोल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से ही है, इसमें पृथक्करण का कोई रोल नहीं है। इस पोल का एक भाग लगभग 17 फीट का है तो इसमें 15–16 मकान कैसे हो सकते है। वासुदेव, जो कि प्रार्थीगण के पारिवारिक भाई है, का पृथक से 16460 वर्गफीट का पट्टा बना हुआ है और रघुवीरसिंह, दुर्गाराम का अलग से पट्टा बना हुआ है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को सामलाती बताकर आये है जबकि यह उनकी चौथी पीढी है, इसलिये यह पोल मकान ही कहलाएगी क्योकि पोल व मकान में अन्तर होता है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रेन्दडी द्वारा मिसल संख्या 32/2010–11 दायर दिनांक 23.01.2011, संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.01.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.01.2013 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह रहा कि अप्रार्थी ने सामलाती पोल को अपनी आवासीय मकान में सम्मिलित बताते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पटटा जारी करवा दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थीगण के इस उज्र का विरोध करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ने केवल अपने हिस्से की भूमि का ही जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो कि विवादित पोल से सम्बन्धित भूमि अप्रार्थी के पक्ष में रही हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी से सम्बन्धित पोल का सभी व्यक्तियों द्वारा आपसी उपयोग हो रहा था अर्थात् उस पोल का सामलाती रूप से उपयोग हो रहा था। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जगदीशसिंह का प्रस्तुत शपथ पत्र, जिसका नाम जैर निगरानी पट्टे की मिसल में गवाह के रूप में अंकित है, में अंकितानुसार "लक्ष्मणसिंह द्वारा केवल अपने आवासी मकान का पट्टा बनाने हेतु मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। उसके बाद किसी नाप–चौक में अगर हैरा फैरी की है, तो उसकी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)
अति. जिला कलेक्टर पाली

मुझे कोई जानकारी नहीं और न ही मैने उन पर हस्ताक्षर किये है।'' जो कि अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करता है।

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी को 3406.42 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के उज्र का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने केवल अप्रार्थी की कब्जुसुदा व पुराने निर्मित मकान के अनुसार ही पट्टा जारी किया है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना की है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा निर्धारित सीमा से अधिक है, यह नियमों का उल्लंघन है क्योंकि पट्टा नियम के अनुसार जारी नहीं हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा पट्टा अवैध व अनुचित माना जाएगा। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय State of Rajasthan vs Kedar Singh में यह स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए निर्धारित राशि और क्षेत्रफल में विसंगति पाई जाए तो उस पट्टे को रद्द किया जा सकता है। प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा 3406.42 वर्गफीट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ''राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।''

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थानी पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही उस पर किसी दिनांक का अंकन है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 26.01.2011, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें मौका निरीक्षण किया जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया साथ ही प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाये जाने हेतु किसी को आदेशित भी नहीं किया गया। नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित

अति. जिला कलेक्टर, बारां

प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. प्रकरण में पंचायत द्वरा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती अंकित नहीं है तथा आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों क पालन नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टा देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रेन्दडी द्वारा मिसल संख्या 32/2010–11 दायर दिनांक 23.01.2011, संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.01.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.01.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत रेन्दडी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली